



सत्यमेव जयते
भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति की 26वीं (2010-11) रिपोर्ट,
15वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध
में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE RAJYA SABHA
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS -
26TH REPORTS OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE, (2010-11),
15TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE**

अगस्त, 2011
AUGUST, 2011

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबधित वित्त संबंधी स्थायी समिति की 26वीं (2010-11) रिपोर्ट,
15वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध
में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE RAJYA SABHA
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS -
26TH REPORTS OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE, (2010-11),
15TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE**

अगस्त, 2011
AUGUST, 2011

विषय-सूची		INDEX		
क्रम संख्या	विषय वस्तु संख्या	पृष्ठ	Sl No. Contents	Page No.
1.	श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i-ii	1. Statement by Shri Pranab Mukherjee, Minister of Finance	i-ii
2.	अनुबंध- वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय तथा विनिवेश विभाग) की 2010-11 की अनुदानों की मांगों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति की 26वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जिसे 10 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।	1-21	2. Annexure- Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2010-11 of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 10th December, 2010.	23-40

आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) 26वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) की निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 के राज्य सभा बुलेटिन, भाग-II के तहत माननीय सभापति, राज्य सभा के निर्देश 32 के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवा और विनिवेश विभागों से संबंधित 26वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देने को अपना सौभाग्य मानता हूँ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की **26वीं रिपोर्ट 10 दिसम्बर, 2010** को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई। 26वीं रिपोर्ट अनुदानों की मांगों (2010-11) की जांच से संबंधित है। इस रिपोर्ट में, समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है और आठ (8) सिफारिशों की हैं जिनके संबंध में सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है। ये सिफारिशें मुख्यतः व्यवहार्यता अंतराल निधिपोषण के जरिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता हेतु बजटीय प्रावधानों का निरंतर कम उपयोग, ऋण प्रबंधन कार्यनीति, बैंकिंग का अधिक विस्तार, बैंक सेवाएं प्रदान करने में

STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE RAJYA SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 26th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (15th LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2010-11), RELATING TO THE DEPARTMENTS OF ECONOMIC AFFAIRS, FINANCIAL SERVICES, EXPENDITURE & DISINVESTMENT

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 26th Report of the Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Disinvestment of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) in pursuance of Direction 32 of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha vide Rajya Sabha Bulletin, Part II dated 28th September 2004.

The **26th Report** of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) was **laid** in the Rajya Sabha on **10th December, 2010**. The 26th report relates to examination of Demands for Grants (2010-11). In the Report, the Committee deliberated on various issues and made eight (8) recommendations, where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to the issues like continued under utilisation of budgetary provisions for assisting Public Private Partnership

बैंकिंग संवाददाताओं/बैंकिंग फेसिलिटेटर्स मॉडल का मूल्यांकन, तरजीही क्षेत्र विशेषकर कृषि और कमजोर वर्गों को ऋण देने में कमी जैसे मुद्दों से संबंधित हैं। एक प्रभावी निवारक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से बजटीय योजना प्रक्रिया की समीक्षा करना जिससे कि प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर अभ्यर्पणों को रोका जा सके। योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वित नहीं होने के कारण बचतों से भिन्न मितव्ययिता उपायों की वजह से हुए अभ्यर्पणों/बचतों संबंधी जानकारीयों के संग्रहण और देख-रेख हेतु तंत्र की स्थापना जिससे कि प्रभावी व्यय प्रबंधन किया जा सके।

रिपोर्टों में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी विवरणियां 13 मई, 2011 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थीं। 26वीं रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दिखायी गयी है।

मैं **अनुबंध** की विषय-वस्तु को पढ़कर सुनाने में सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए ।

(PPP) infrastructure projects through Viability Gap Funding, Debt Management strategy, Extending outreach of Banking, Evaluation of Banking Correspondents (BC)/Banking Facilitators (BFs) model in extending banking services, shortfall in priority sector lending, mainly to agriculture and weaker sections. Reviewing the budgetary planning process with a view to building an effective deterrent mechanism so as to prevent large scale surrenders every year. Establishment of a mechanism for collecting and maintaining information on surrenders/savings effected on account of economy measures as distinct from savings owing to non-implementation of schemes/programmes, for enabling effective expenditure management.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on 13th May, 2011. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 26th Report is indicated in **Annexure**.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the **Annexure**. I would request that these may be taken as read.

(वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग) की स्थायी समिति की दि. 10 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में/दि. 10 दिसम्बर, 2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत 26वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1	8	इस समिति ने 2006-07 से अर्थक्षमता अंतर निधियन (वीजीएफ) के माध्यम से सरकारी - निजी भागीदारी वाली अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता करने के लिए बजटीय प्रावधानों के निरंतर कम उपयोग पर अपनी चिन्ता दोहरायी। चालू वर्ष 2010 के दौरान भी लेखा शीर्ष के अंतर्गत 480.26 करोड़ रुपए के बजटीय अनुदान को संशोधित अनुमान चरण में अधोमुखी संशोधित करके 125 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसमें से आज की तारीख अर्थात् मध्य नवम्बर, 2010 तक 52.51 करोड़ रुपए ही संवितरित किए गए हैं। समिति मंत्रालय के उत्तर से संतुष्ट नहीं है जिसमें पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परियोजना के प्रायोजकों का अनुभवहीन होना, ऐसी परियोजनाओं में ऋणात्मक अनुदान जहां निजी क्षेत्र प्रतिलाभों के प्रति ज्यादा आशावान है, 2008 की वैश्विक मंदी का असर जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के वित्तीय समापन में देरी हुई, जैसे कारकों को बजट के कम प्रयोग के कारणों में सूचीबद्ध किया गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसे प्रायोजकों को परियोजनाएं न दी जाएं जो अपनी वचनबद्धता को पूरा न कर सकें और वीजीएफ के माध्यम से निधियन पर निर्णय लेने से पहले प्रत्येक परियोजना की संभाव्यता का समुचित मूल्यांकन किया जाए।	<p>वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के चरण में मुख्य शीर्ष 5475-अवसंरचना विकास हेतु सहायता में 480.26 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। ये बजट अनुमान दो बड़ी पूंजी निवेश वाली मेट्रो परियोजनाओं (हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना और मुंबई मेट्रो रेल परियोजना) सहित प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत, को "सिद्धांततः" दिए गए अनुमोदन के आधार पर तैयार किए गए थे। यद्यपि, दो परियोजनाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं और इसमें 3894.88 करोड़ रुपए की वीजीएफ सहायता की जरूरत है (2010-11 के लिए सूचित जरूरत 350 करोड़ रुपए है।) इन परियोजनाओं के वित्तीय समापन संशोधित अनुमान 2010-11 को अंतिम रूप दिए जाने तक पूरे नहीं किए जा सके और उन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अर्थ क्षमता अंतर वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं पड़ी। तदनुसार, संशोधित अनुमान 2010-11 में प्रावधान को घटाकर 125 करोड़ रुपए किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान वास्तविक संवितरण 125.00 करोड़ रुपए था।</p> <p>2. अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण पीपीपी परियोजनाओं को पूंजीगत अनुदान प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली है ताकि उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। वीजीएफ सहायता हेतु अनुमोदन प्रदान करने से पहले परियोजना की जरूरत तथा औचित्य और क्या परियोजना को निधियन की कमतर जरूरत के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है, का सावधानी से मूल्यांकन किया जाता है। एक बार परियोजना के गुणावगुण और संविदा संबंधी दस्तावेजों की मजबूती का पता चल जाने के बाद, परियोजना को वीजीएफ सहायता के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान किया जाता है।</p>	यह केवल स्पष्टीकरण के लिए तथ्यों का एक विवरण है।	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>इस समिति की सुविचारित राय है कि उन पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में अधिकार प्राप्त समिति की निश्चित रूप से बेहतर भूमिका है जिनमें वीजीएफ के माध्यम से सहायता की जरूरत है और लेखा शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आवश्यकता का अधिक वस्तुपरक मूल्यांकन किया जाए। समिति इस बारे में की गई कार्रवाई से अवगत होने की आशा रखती है।</p>	<p>3. प्रायोजक प्राधिकारियों के साथ सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद वीजीएफ की जरूरतों का सही प्रकार से अनुमान लगाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। केवल उन परियोजनाओं के लिए धनराशि चिह्नित की जाती है जो बोली लगाने की अग्रिम अवस्था में होती है तथा जहां परियोजनाएं दी जा चुकी हैं। तथापि, वास्तविक बोली प्रत्युत्तर परियोजना के लिए भावी लागतों और राजस्वों के बारे में विकासकर्ता के अनुमानों व धारणाओं से प्रभावित होते हैं। अतः सिद्धांत रूप में अनुमोदन की अवस्था में अंतिम बोली प्रत्युत्तर में और अनुमोदित वीजीएफ आवश्यकताओं में परिवर्तन हो सकता है।</p> <p>4. इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए तथा सरकारी स्रोतों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु वीजीएफ की वास्तविक धनराशि केवल तभी जारी की जाती है जब वित्तीय वर्ष का समापन हो गया हो और निजी विकासकर्ता ने अभिदत्त और चुकता पूंजी को खर्च कर दिया है। बृहत् आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन उन आधारिक कारकों को प्रभावित करता है जो वीजीएफ के संवितरण के लिए निर्णायक होते हैं।</p> <p>5. वीजीएफ प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :</p> <p>(क) पीपीपी प्रक्रिया तथा वीजीएफ योजना की जागरूकता तथा समझ सृजित करना ताकि पीपीपी अधिप्राप्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जा सके, और उन पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना प्राधिकरणों के साथ समीक्षा करना जिन्हें वीजीएफ सहायता के लिए समर्थन प्रदान किया गया है।</p> <p>(ख) नियमित सेमिनार, समीक्षा बैठकें आदि आयोजित की जाती हैं जिनमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।</p> <p>(ग) अधिकार प्राप्त संस्था/समिति सभी पीपीपी परियोजनाओं की विशेष समीक्षा आयोजित करेंगी जिसमें भविष्य में अधिक वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए वीजीएफ के निपटान की जरूरत है।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां								
2	11	<p>की गई कार्रवाई टिप्पणी के अनुसार, राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) ऋणों और विदेशी ऋणों के लिए वर्तमान विनिमय दरों के समायोजन के पश्चात केन्द्र सरकार की कुल ऋण देयता सघउ के प्रतिशत के रूप में सं.अ. 2009-10 में 51.5 प्रतिशत और ब.अ. 2010-11 में 51.1 प्रतिशत बैठती है जो वर्ष के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा-अनुमानित 53.9 प्रतिशत से कम है। तथापि, समिति टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकती कि राज्य सरकारों की कुल ऋण देयताओं और परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संयुक्त ऋण देयताओं के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सरकारी ऋण के नियंत्रण के लिए किए गए अथवा प्रस्तावित उपायों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी स्पष्ट भी नहीं है जो वर्ष 2010-11 में सघउ के 80 प्रतिशत पर अर्थात् अनुदान मांगों के परीक्षण के समय बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई 75 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक थे। यह आंकड़ा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यथास्वीकृत वर्ष 2014-15 तक हासिल किए जाने वाले 68 प्रतिशत लक्षित संयुक्त ऋण स्तर से अधिक के लिए भी है। हालांकि, सरकार राजस्व और राजकोषीय घाटों को कम करना चाहती है, परंतु घाटों को नियंत्रित करने और ऋण देयता को कम करने हेतु ठोस उपायों/तंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति को आशंका है कि ठोस उपायों के अभाव में घाटों को नियंत्रित करने और समग्र ऋण देयता संबंधी अनुमान हासिल</p>	<p>31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों की कुल अनुमानित देयताएं निम्नलिखित हैं:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">(राशि करोड़ रूपए)</td> </tr> <tr> <td>केन्द्र सरकार</td> <td>3148427 @</td> </tr> <tr> <td>राज्य सरकार</td> <td>1394077 \$</td> </tr> <tr> <td>सामान्य सरकारी ऋण</td> <td>4542504</td> </tr> </table> <p>@ एमएसएस और एनएसएसएफ के तहत देयताओं का निवल क्योंकि दोनों का उपयोग केन्द्र सरकार के घाटे के वित्तपोषण के लिए नहीं होता है। \$ राजकोषीय हुण्डियों का निवल सरकार राजकोषीय औचित्य नीति के माध्यम से लोक ऋण में वृद्धि को संतुलित रखने के लिए व्यापक कार्य योजना का अनुसरण कर रही है। इस राजकोषीय औचित्य नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, लागत उधारों को कम करना, रियायती शर्तों और दीर्घावधि परिपक्वताओं वाले कम खर्चीले स्रोतों से निधियां जुटाने पर जोर, अल्पावधिक ऋण को मॉनिटर करना और पूंजी प्रवाहों के ऋण-भिन्न सृजन को प्रोत्साहन देना शामिल है। ऋण के विवेकपूर्ण प्रबंधन तथा रखाव लागत और द्वितीयक बाजार तरलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने मिडिल ऑफिस की स्थापना भी की है।</p> <p>सरकार ने राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। सामान्य सरकारी ऋण (केन्द्रराज्य) वर्ष 2004-05 में सघउ के 79.3 प्रतिशत से 2009-10 में घटकर 69.3 प्रतिशत हो गया है। बजट दस्तावेज 2011-12 के साथ संसद में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार, केन्द्र सरकार के सघउ अनुपात का अनुमानित ऋण ब्रमश: 2010-11 में 45.3 प्रतिशत, 2011-12 में 44.2 प्रतिशत, 2012-13 में 43.1 प्रतिशत और 2013-14 में 41.5 प्रतिशत होगा।</p>	(राशि करोड़ रूपए)		केन्द्र सरकार	3148427 @	राज्य सरकार	1394077 \$	सामान्य सरकारी ऋण	4542504	स्वीकृत	
(राशि करोड़ रूपए)													
केन्द्र सरकार	3148427 @												
राज्य सरकार	1394077 \$												
सामान्य सरकारी ऋण	4542504												

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
3	14	<p>किए जाने योग्य नहीं हो सकते हैं। समिति ने इन तथ्यों पर भी चिंता व्यक्त की है कि राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियों के हालांकि 2010-11 में मामूली रूप से गिरकर 36.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है तब भी इसमें बढ़ोत्तरी जारी रहेगी। अतः समिति यह अपेक्षा करती है कि सरकार साफ और सुस्पष्ट तरीके से ऋण प्रबंधन कार्य नीति तैयार करे और गंभीरतापूर्वक इसका अनुसरण भी करे।</p> <p>जैसा कि की गई कार्रवाई टिप्पण से देखा गया, देश में लगभग 375 कम बैंक वाले जिले हैं तथा बिना बैंक वाले 89 खंड हैं और इन खंडों में से 80 बिना बैंक वाले खंड पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। बैंकिंग पहुंच का विस्तार करने हेतु भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय करने के बावजूद ऐसा है, अर्थात्, सरलीकृत शाखा प्राधिकार नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की वयवहार्यता अंतर के वित्तपोषण संबंधी योजनाएं, अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईएस) मानदंड, मूलभूत बैंकिंग अतिरिक्त सुविधा रहित खाते जनरल परपज क्रेडिट कार्डों (जीसीसी) को जारी करना, बैंकिंग संवाददाताओं/सहायकों का उपयोग, सभी आरआरबी में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का कार्यान्वयन, वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल को बढ़ाना, मोबाइल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) तथा वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) गठित करना, एसएलबीसी संयोजक बैंकों तथा एसएचजी बैंक सहबद्धता कार्यक्रम आदि द्वारा वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्रों का गठन। सबसे गंभीर</p>	<p>यह उल्लेख है कि पिछली की गई कार्रवाई की टिप्पणी के समय से और कुछ बैंक रहित ब्लॉकों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस समय देश में 81 बैंक रहित ब्लॉक हैं जिनमें से 79 ब्लॉक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हैं और 2 ब्लॉक जम्मू एवं कश्मीर राज्य में हैं।</p> <p>जहां तक बैंकिंग की पहुंच का विस्तार करने के लिए बहुआयामी प्रयास करने का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी है कि वे टीयर 3 से टीयर 6 केन्द्रों में और उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केन्द्रों में रिपोर्ट किए जाने की शर्त के अधीन, मोबाइल शाखाएं परिचालित करें। मोबाइल शाखा के दिशा-निर्देशों में अत्यंत सुरक्षित वाहन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है। मोबाइल इकाई विनिर्दिष्ट दिनों/ घंटों में उन स्थानों का दौरा करेगी जहां वह सेवा देने का प्रस्ताव करती है जिससे कि ग्राहकों द्वारा इसकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सके। कुछेक बैंकों, जैसे इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, कारपोरेशन बैंक ने मोबाइल बैंक सेवाओं का शुभारंभ किया है। इसके अलावा, आरबीआई की मौजूदा शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को, रिपोर्ट किए जाने की शर्त के अधीन, (i) टीयर 3 से टीयर 6 केन्द्रों (49,999 तक की आबादी वाले स्थान) में और (ii) उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केन्द्रों में शाखाएं/ मोबाइल शाखाएं खोलने की सामान्य</p>	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>बात यह है कि समिति की इस विशिष्ट सिफारिश के संबंध में की गई टिप्पण में कुछ नहीं कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को नए बैंक लाइसेंस प्रदान करते समय वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक बैंकिंग के मुद्दे को सर्वाधिक वरीयता देनी चाहिए। समिति यह दोहराना चाहेगी कि नए लाइसेंस प्रदान करते समय बैंकिंग की पहुंच को बढ़ाने वाले मुद्दों को सर्वाधिक वरीयता देनी चाहिए। समिति को आशा है कि उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जायेगा।</p>	<p>अनुमति दी गई है। इस तरह, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपर्युक्त केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, आरबीआई से पूर्व अनुमति लिए बगैर अपनी पसंद के स्थान पर ऑफ-साइट एटीएम/ मोबाइल एटीएम संस्थापित करने की सामान्य संस्वीकृति दी गई है। यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण और अल्प बैंक-सुविधा वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक शाखाएं खोलने पर मौजूदा शाखा प्राधिकार नीति में पहले से ही विशेष जोर दिया गया है।</p> <p>समिति की यह सिफारिश कि नए बैंक लाइसेंस जारी करते समय वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह उल्लेख है कि निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश पर आरबीआई द्वारा जनवरी 1993 और जनवरी 2001 में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार नए बैंकों के लिए अपनी शाखाओं में से 25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोलना अपेक्षित है। उक्त निर्धारण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए है। नए बैंकों को लाइसेंस देने पर आरबीआई द्वारा नए मसौदा दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। आरबीआई ने स्थायी समिति की राय को अपने रिकार्ड में ले लिया है और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देते समय स्थायी समिति की राय को ध्यान में रखा जाएगा।</p>		
4	17	<p>समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने में बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी)/बैंकिंग सहायकों (बीएफ) के प्रभाव का अध्ययन करने, की उसकी सिफारिश और इस मॉडल द्वारा गैर बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहकों से सेवा प्रभार लेने, औचित्य के मुद्दे पर की गई कार्यवाही टिप्पण में कुछ नहीं कहा गया है। सरकार ने केवल बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाताओं की कुल संख्या (2301) के बारे में जानकारी दी है, जिसमें अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी</p>	<p>भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को देश के कम बैंक सुविधा वाले तथा बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति के लिए कारोबार सुविधा प्रदाता (बीएफ)/ कारोबार सम्पर्की (बीसी) मॉडल अपनाने के लिए 2006 से ही अनुमति दी गई है। द्वारा बीसी के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई अनेक कंपनियों/व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी तथापि, उनमें से कुछ को ही बैंकों द्वारा कार्य पर लगाया गया। आरबीआई ने बैंकों द्वारा बीसी के रूप में कार्य करने के लिए "फॉर प्रोफिट" कंपनियों को लगाने पर अगस्त, 2010 में जारी अपने विमर्श पत्र में बीसी/बीएफ मॉडल की सक्षमता की जांच की थी। इस विमर्श पत्र में किया गया था कि:</p>	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां
		<p>है (2128), और निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों ने क्रमशः 172 तथा 1 बीसी नियुक्त किए हैं। "वित्तीय समावेशन" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटे/लघु जमाकर्ताओं को वरीयता देने पर समिति द्वारा बल दिए जाने के संबंध में भी की गई कार्रवाई टिप्पण में कुछ नहीं कहा गया है। की गई कार्रवाई टिप्पण से यह भी स्पष्ट है कि बीसी मॉडल को निजी क्षेत्र के तथा विदेशी बैंकों द्वारा अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। समिति एक बार फिर एक बैंकिंग चैनल के रूप में इस मॉडल के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल देती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग संवाददाताओं को नियुक्त करने के मानदंड, अतिरिक्त खातों की संख्या, अभी तक इस मॉडल द्वारा सृजित कारोबार आदि शामिल हैं। समिति शीघ्र इस बारे में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।</p>	<p>(i) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के 50 बैंकों में से केवल 27 बैंकों ने बीसी नियुक्त करने की सूचना दी है। ज्यादातर बैंक जिन्होंने बीसी को लगाया था, ने धारा 25 कंपनियों/ न्यासों/ सोसाइटियों को बीसी के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा, बीसी के रूप में कार्यरत लगभग सभी धारा 25 कंपनियां प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं जिन्होंने खाता खोलने इत्यादि के लिए स्मार्ट कार्ड अथवा बायोमैट्रिक सोल्यूशन प्रदान किया था, के द्वारा चलाई जाती थी।</p> <p>(ii) उदाहरण के लिए-फिनो, एक प्रौद्योगिकी फर्म है जो अपने निर्लाभ साझेदार फिनटैक फाउंडेशन के साथ कार्य करती है, फिनटैक फाउंडेशन बीसी नेटवर्क मैनेजर के रूप में कार्य करता है जिसने 14 बैंकों, डाकघरों, तथा 9 सरकारी एजेंसियों की ओर से लगभग 10 लाख खाते खोले थे। ए लिटिल वर्ल्ड (एएलडब्ल्यू) और इसके निर्लाभ साझेदार जीरो मास फाउंडेशन ने भी 20 बैंकों के लिए बीसी के रूप में कार्य करते हुए लगभग 4 लाख खाते खोले थे। इको भी एक समान प्रौद्योगिकी पर आधारित कंपनी है जो भारतीय स्टेट बैंक के लिए बीसी के रूप में एकसमान निर्लाभ साझेदार संगठन इको एस्पॉयजर फाउंडेशन के साथ कार्य करती है। इसी प्रकार, इनटेग्रा माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लि. ने भी कुछ बैंकों के लिए बीसी मॉडल के अंतर्गत प्रौद्योगिकी साल्यूशन प्रदान किया था।</p> <p>(iii) हालांकि बहुत से बैंकों ने बीसी मॉडल अपनाने के लिए कुछ कदम उठाए थे, उनमें से कुछ ही इसे प्रायोगिक स्तर से ऊपर ले जा पाए। बीसी मॉडल को प्रवर्धित करने में बैंकों के द्वारा महसूस की गई कठिनाइयां अनेक कारकों के कारण थी जिनमें बीसी को बड़ी संख्या के लगाने में बैंकों के सामने आ रही ऋण, परिचालन, विधिक तथा प्रतिष्ठा जोखिम, बीसी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को उनकी वित्तीय और अन्य बाधाओं के कारण कम कवरेज, बीसी के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा का आकलन करने में कठिनाई, विभिन्न अभिलेखों को अद्यतन बनाए रखने, नियमितता, समय-पाबंदी, के मामलों में बीसी में वृत्तिपक्षता के सामान्य अभाव, ऋण प्रक्रिया, संवितरण में विलंब, बीसी द्वारा सृजित कारोबार की कम मात्रा तथा कम मूल्य के लेनदेनों की कम कीमत से जुड़ी लागत शामिल थे।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां
			<p>उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई द्वारा कारोबार सम्पर्की की नियुक्ति करने के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई थी और 28 सितम्बर, 2010 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। अब बैंकों को बीसी के रूप में बड़ी और विस्तारित रिटेल आउटलेट सहित भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों (एनबीएफसी को छोड़कर) को नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। आशा है कि यह बैंकों को देश के दूर-दराज के क्षेत्रों, जिन्हे पारम्पारिक बैंक शाखा द्वारा सेवा नहीं दी जाती है, में बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगा। इस मॉडल का मूल्यांकन ज्यादातर बैंकों द्वारा इस मॉडल का क्रियान्वयन करने के उपरांत किया जा सकता है। हॉल ही की यह रियायत मोबाइल ऑपरेटरों को बैंकों के बीसी बनने में भी मदद करती है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सूचित किया है कि मोबाइल सेवा प्रदाता वोडाफोन एस्सार आईसीआईसीआई बैंक लि. के लिए एक बीसी बनेगा। जबकि भारतीय एयरटेल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में ग्राहकों को उपलब्ध "यूनियन बैंक मनी" नामक मोबाइल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए नोकिया और ओबोपे के साथ साझेदारी की है।</p> <p>जहां तक बीसी के रूप में छोटी जमाराशियां एकत्र करने को वरीयता देने के लिए समिति की सिफारिशों का संबंध है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि बैंक घर-घर जाकर छोटी जमाराशियों का संग्रहण करने के लिए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं और आरबीआई के विद्यमान दिशा-निर्देश भी किसी व्यक्ति को बीसी के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। एक बीसी बैंकों के लिए छोटी जमाराशियां एकत्र करने के अलावा बहुत से अनुमत कार्यकलाप कर सकते हैं, जिनमें शामिल है:-</p> <p>(i) उधारकर्ताओं की पहचान (ii) प्राथमिक सूचना/आंकड़े का सत्यापन करने के लिए साथ-साथ ऋण आवेदनों को एकत्र करना तथा उनकी प्रारंभिक कार्रवाई (iii) बचत और अन्य उत्पादों के बारे में जागरूकता लाना तथा धन का प्रबंधन करने पर शिक्षा एवं सलाह और ऋण परामर्श (iv) बैंकों में आवेदन जमा करना तथा उन पर कार्रवाई</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां
5	20	<p>समिति ने इस तथ्य पर अपनी गहन चिंता व्यक्त की थी कि विशेष रूप से गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता आधार पर कृषि क्षेत्र को ऋण नहीं दे रहे हैं। की गई कार्रवाई टिप्पणी में यह बताया गया कि ग्रामीण विकासोन्मुखी निधियों को कम धनराशि आबंटित करके बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में कमी करके इस राशि को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं और अन्य विकास से जुड़े कार्यक्रमों पर उपयोग किया जा रहा है जो कि न तो तर्कसम्मत है और न ही स्वीकार्य है। यह बताया गया है कि पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र को बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दिये जाने वाले ऋण में लगभग 31500 करोड़ रुपये की कमी की गई और यह राशि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अलावा तीन निधियों अर्थात् अल्पावधि सहकारी ऋण पुनर्वित्तपोषण निधि (एसटीसीआरसी), सूक्ष्म, लघु</p>	<p>(v)स्व-सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह/ ऋण समूहों/ अन्यो को बढ़ावा देना, पोषण तथा निगरानी करना (vi) संस्वीकृति-पूर्व निगरानी (vii) वसूली की अनुवर्ती कार्रवाई (viii) छोटी लागत के ऋण का संवितरण (ix) मूल राशि की वसूली/न्याय का संग्रहण (x) छोटी मूल्य की जमाराशियां एकत्र करना (xi) सूक्ष्म बीमा/म्यूचुअल फंड उत्पाद/ पेंशन उत्पाद/ अन्य तृतीय पक्ष उत्पाद की बिक्री तथा (xii) छोटे मूल्य के धन प्रेषण/ अन्य भुगतान लिखतों की प्राप्ति एवं आपूर्ति।</p> <p>31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने देश के 55,923 गांवों को कवर करते हुए 40,942 बीसी. नियुक्त किए हैं तथा देश में 6.47 करोड़ “नो फ्रिल्स” (31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार) खाते खोले हैं।</p> <p>सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो अपना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य/उपलक्ष्य प्राप्त करने में असफल होते हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उधार में अपनी कमी को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार उक्त चार निधियों में से एक निधि में करना अपेक्षित है। तदनुसार यह कमी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों को आबंटित की जाती है। ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) अल्पावधि सहकारी ऋण पुनर्वित्त निधि (एसटीसीआरसी), मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि (एमएसएमई), तथा ग्रामीण आवास निधि को निधियों के आबंटन का तंत्र बैंकों के लिए अप्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इन निधियों से आय कम है, और इन बैंकों को सीधे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए उपाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।</p> <p>निम्नलिखित राशियों को विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कृषि उधार/ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/ कमजोर वर्गों में कमी से आबंटित किया गया है:</p>	तथ्य विवरण सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां																								
		<p>और मध्यम उद्यम पुनर्वित्तपोषण निधि (एमएसएमई) और ग्रामीण आवास निधि को आबंटित की गई है। की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निधियों में बढ़ी हुई राशि को लेने का और निधियों में बढ़ी हुई राशि के उपयोग से सृजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। समिति आशा करती है कि उसे पिछले तीन वर्षों में इन चार निधियों में बढ़ी हुई राशि को लेने के ब्यौरे से अवगत कराया जाए।</p>	<p style="text-align: center;">विगत तीन वर्षों में आबंटित राशि (करोड़ रु. में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">निधि का नाम</th> <th style="text-align: center;">2008-09</th> <th style="text-align: center;">2009-10</th> <th style="text-align: center;">2010-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ)</td> <td style="text-align: center;">14,000</td> <td style="text-align: center;">14,000</td> <td style="text-align: center;">16,000</td> </tr> <tr> <td>आरआईडीएफ के द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम अल्पावधि सहकारी ऋण (एसटीसीआरसी) (पुनर्वित्त) निधि</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td style="text-align: center;">6,500</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पुनर्वित्त निधि</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> </tr> <tr> <td>ग्रामीण आवास ऋण</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td style="text-align: center;">28,200</td> <td style="text-align: center;">31,500</td> <td style="text-align: center;">27,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपर्युक्त निधियों के आबंटन का इन निधियों के उपचय की कुल खरीद के साथ ब्यौरा निम्नानुसार है:-</p> <p>(i) ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) - सरकार द्वारा आरआईडीएफ की स्थापना वर्ष 1995-96 में 2000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कार्पस के साथ निर्माणाधीन ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु की गई थी। यह निधि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा अनुरक्षित है। आरआईडीएफ ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकारों को रियायती दर पर मीयादी ऋण प्रदान करता है। समय के साथ-साथ, आरआईडीएफ के तहत कवरेज अधिक व्यापक आधारित हो गई है तथा वर्तमान में, विभिन्न प्रकार के 31 क्षेत्रों (संलग्न-1) को वित्तपोषित किया जा रहा है। आरआईडीएफ के तहत राज्य सरकारों को</p>	निधि का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ)	14,000	14,000	16,000	आरआईडीएफ के द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम अल्पावधि सहकारी ऋण (एसटीसीआरसी) (पुनर्वित्त) निधि	4,000	6,500	-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पुनर्वित्त निधि	5,000	5,000	5,000	ग्रामीण आवास ऋण	4,000	4,000	4,000	योग	28,200	31,500	27,000		
निधि का नाम	2008-09	2009-10	2010-11																										
ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ)	14,000	14,000	16,000																										
आरआईडीएफ के द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम अल्पावधि सहकारी ऋण (एसटीसीआरसी) (पुनर्वित्त) निधि	4,000	6,500	-																										
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पुनर्वित्त निधि	5,000	5,000	5,000																										
ग्रामीण आवास ऋण	4,000	4,000	4,000																										
योग	28,200	31,500	27,000																										

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां																
			<p>संवितरण प्रतिपूर्ति आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर किया जाता है। नाबार्ड आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा मांग करने के पश्चात ही बैंकों से जमाराशियां आहरित करता है। नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ से राज्य सरकारों को वार्षिक आबंटन उनके भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण अवसंरचना सूचकांक, ग्रामीण ऋण जमा (सीडी) अनुपालन के प्रतिलोम और आरआईडीएफ मंजूरीयों एवं उपयोग के पिछले कार्य निष्पादन के संदर्भ में प्रामाणिक आधार पर किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आबंटन में क्षेत्रीय एवं प्रक्षेत्रीय संतुलन विशेष रूप से पूर्वोत्तर एवं पिछड़े क्षेत्रों में बनाए रखा गया है। आरआईडीएफ के तहत समाप्त सभी श्रृंखलाओं के संबंध में आबंटन का उपयोग 90% से अधिक रहा है। नाबार्ड का प्रगति की जांच करने के लिए एक सख्त निगरानी तंत्र है।</p> <p>वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान आबंटन, मंजूरी एवं संवितरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-</p> <table border="1" data-bbox="842 906 1591 1141"> <thead> <tr> <th>श्रृंखला</th> <th>भारत सरकार द्वारा</th> <th>राज्य को की गई मंजूरीयां</th> <th>उपयोग/ संवितरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XIII (2007-08)</td> <td>12000.00</td> <td>12614.46</td> <td>8,034.93</td> </tr> <tr> <td>XIV (2008-09)</td> <td>14000.00</td> <td>14754.28</td> <td>10,458.64</td> </tr> <tr> <td>XV (2009-10)</td> <td>14000.00</td> <td>15629.66</td> <td>12,387.54</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ii) भारत निर्माण कार्यक्रम: नाबार्ड में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम अर्थात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के निधीयन में वृद्धि करने के लिए 2006-07 में एक विशेष विन्डों का सृजन किया गया था। इस विन्डों से, वर्ष 2006-07 एवं 2009-10 के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय को निधीयन किया गया था।</p>	श्रृंखला	भारत सरकार द्वारा	राज्य को की गई मंजूरीयां	उपयोग/ संवितरण	XIII (2007-08)	12000.00	12614.46	8,034.93	XIV (2008-09)	14000.00	14754.28	10,458.64	XV (2009-10)	14000.00	15629.66	12,387.54		
श्रृंखला	भारत सरकार द्वारा	राज्य को की गई मंजूरीयां	उपयोग/ संवितरण																		
XIII (2007-08)	12000.00	12614.46	8,034.93																		
XIV (2008-09)	14000.00	14754.28	10,458.64																		
XV (2009-10)	14000.00	15629.66	12,387.54																		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां																												
			<p>(iii) अल्पावधि सहकारी ऋण (एसटीसीआरसी) (पुनर्वित्त) निधि 2009-10: नाबार्ड में अल्पावधि सहकारी ऋण (पुनर्वित्त) एसटीसीआरसी निधि की स्थापना सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि उत्पादन ऋण हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए कम लागत वाली निधियों तक पहुंच बनाने में इसे समर्थ करने की दृष्टि से की गई थी। इस निधि से, नाबार्ड ग्राहक बैंकों की (राज्य सहकारी बैंकों को 4% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 4.5%) निधियों की लागत एवं अल्पावधि परिचालन(एसएओ) पर प्रभारित ब्याज को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड को इस निधि का आबंटन करने से, नाबार्ड को बाजार से निधियों की समतुल्य राशि को, सहकारी बैंकों के लिए अपने अल्पावधि (फसल) ऋण प्रदान करने संबंधी परिचालनों हेतु, लेने में सहायता मिलती है। विगत तीन वर्षों के दौरान, नाबार्ड द्वारा इस निधि का उपयोग निम्नानुसार हैं:-</p> <p style="text-align: right;">(राशि करोड़ रु. में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">वर्ष</th> <th style="text-align: center;">एसटीसीआरसी निधि आबंटन भारत सरकार की घोषणा</th> <th style="text-align: center;">वास्तविक आबंटन</th> <th style="text-align: center;">नाबार्ड द्वारा संवितरित राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">4,622.28</td> <td style="text-align: center;">14,274</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">18,460</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">20,739</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iv) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पुनर्वित्त निधि: सिडबी द्वारा प्राप्त एमएसएमई निधि तथा इसके उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:</p> <p style="text-align: right;">(राशि करोड़ रु. में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">वित्तीय वर्ष</th> <th style="text-align: center;">प्राप्त राशि</th> <th style="text-align: center;">उपयोग की गई राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td style="text-align: center;">3326.00</td> <td style="text-align: center;">पूरी राशि उपयोग की गई</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td style="text-align: center;">4000.00</td> <td style="text-align: center;">पूरी राशि उपयोग की गई</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td style="text-align: center;">4000.00</td> <td style="text-align: center;">पूरी राशि उपयोग की गई</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	एसटीसीआरसी निधि आबंटन भारत सरकार की घोषणा	वास्तविक आबंटन	नाबार्ड द्वारा संवितरित राशि	2008-09	5,000	4,622.28	14,274	2009-10	5,000	5,000	18,460	2010-11	5,000	5,000	20,739	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	उपयोग की गई राशि	2008-09	3326.00	पूरी राशि उपयोग की गई	2009-10	4000.00	पूरी राशि उपयोग की गई	2010-11	4000.00	पूरी राशि उपयोग की गई		
वर्ष	एसटीसीआरसी निधि आबंटन भारत सरकार की घोषणा	वास्तविक आबंटन	नाबार्ड द्वारा संवितरित राशि																														
2008-09	5,000	4,622.28	14,274																														
2009-10	5,000	5,000	18,460																														
2010-11	5,000	5,000	20,739																														
वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	उपयोग की गई राशि																															
2008-09	3326.00	पूरी राशि उपयोग की गई																															
2009-10	4000.00	पूरी राशि उपयोग की गई																															
2010-11	4000.00	पूरी राशि उपयोग की गई																															

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, सिडबी को 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 3,600 करोड़ रुपये में से 3,326 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो गई थी। निधि का उपयोग बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) को वृद्धिशील उधार के पुनर्वित्तीयन हेतु किया गया था। वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंकों एवं राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) को आगे एमएसई को उधार देने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान इस निधि के एक अंश का उपयोग एमएसई को 50% वृद्धिशील उधार की सीमा तक पुनर्वित्त देने के लिए किया गया था। सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों तथा 6 एसएफसी को 4000 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त पूरी तरह संवितरित किया गया था। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायता से 33.18 लाख से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (24.37 लाख सूक्ष्म तथा 8.81 लाख लघु उद्यमों से युक्त) को लाभ हुआ है।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, 26 बैंकों एवं 6 राज्य वित्त निगमों को 4,000 करोड़ रुपये संवितरित कर दिए गए हैं। बैंकों/एसएफसी द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को 50% वृद्धिशील उधार की तुलना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) को वृद्धिशील उधार को पुनर्वित्तपोषित करने के लिए पूरी निधि का उपयोग किया गया था इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिली है तथा 37 लाख से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभ हुआ है।</p> <p>सिडबी ने यह सूचित किया है कि सूक्ष्म उद्यमों को 27 पीएसबी द्वारा वृद्धिशील उधार के संबंध में प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार उधार की तुलना में इसको 54,750 करोड़ रुपये की वृद्धिशील उधार का लक्ष्य प्राप्त किया है। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को बकाया ऋण 1,52,096 करोड़ रुपये थे जो 31 मार्च, 2009 के अनुसार 97,526 करोड़ रुपये थे जिससे 56% की वृद्धि दर्ज हुई है। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार पीएसबी द्वारा सहायता से 61.75 लाख सूक्ष्म उद्यमों को लाभ हुआ है। सिडबी द्वारा रियायती ब्याज दर पर बैंकों/एसएफसी को पुनर्वित्त</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां												
			<p>सहायता का प्रावधान करने से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से सुधार होने की आशा है। सिडबी ने यह भी सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सिडबी को रियायती संसाधन समर्थन के माध्यम से सूक्ष्म लघु उद्यमों को अल्प लागत ऋण निरंतर प्रदान करने की आवश्यकता भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक मंदी से उबरने के वर्तमान परिदृश्य में और अधिक मुखर हो गई है। सिडबी की पुनर्वित्त क्षमताओं में संवृद्धि करने और सूक्ष्म-लघु उद्यमों के विकास में तेजी लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में सिडबी को सूक्ष्म-लघु पुनर्वित्त निधि के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए 5,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।</p> <p>(v) ग्रामीण आवास निधि : ग्रामीण आवास निधि वर्ष 2008-09 में स्थापित की गयी थी और यह राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रशासित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निधियों के अंतर्गत प्राप्त धनराशियों की स्थिति उनके उपयोग सहित निम्नवत है :-</p> <table border="1" data-bbox="848 906 1579 1218"> <thead> <tr> <th>वित्तीय वर्ष जुलाई से जून</th> <th>इन निधियों के अंतर्गत प्राप्त राशियां</th> <th>उपयोग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td>एनएचबी को 1,760.00 करोड़ रुपए प्राप्त हुए</td> <td>1,761.48 करोड़ रुपए संवितरित किए गए</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>एनएचबी को 2,003.13 करोड़ रुपए प्राप्त हुए</td> <td>2,015.82 करोड़ रुपए संवितरित किए गए</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>एनएचबी को 1,514.43 करोड़ रुपए प्राप्त हुए</td> <td>1,317.12 करोड़ रुपए संवितरित किए गए</td> </tr> </tbody> </table> <p>आरएचएफ योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) का उपयोग राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नीचे यथा परिभाषित कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए किए गए ग्रामीण आवास क्षेत्र को ऋण देने के लिए पुनर्वित्त प्रदान के लिए किया जाता है। कमजोर वर्ग का अर्थ निम्नलिखित है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :</p>	वित्तीय वर्ष जुलाई से जून	इन निधियों के अंतर्गत प्राप्त राशियां	उपयोग	2008-09	एनएचबी को 1,760.00 करोड़ रुपए प्राप्त हुए	1,761.48 करोड़ रुपए संवितरित किए गए	2009-10	एनएचबी को 2,003.13 करोड़ रुपए प्राप्त हुए	2,015.82 करोड़ रुपए संवितरित किए गए	2010-11	एनएचबी को 1,514.43 करोड़ रुपए प्राप्त हुए	1,317.12 करोड़ रुपए संवितरित किए गए		
वित्तीय वर्ष जुलाई से जून	इन निधियों के अंतर्गत प्राप्त राशियां	उपयोग															
2008-09	एनएचबी को 1,760.00 करोड़ रुपए प्राप्त हुए	1,761.48 करोड़ रुपए संवितरित किए गए															
2009-10	एनएचबी को 2,003.13 करोड़ रुपए प्राप्त हुए	2,015.82 करोड़ रुपए संवितरित किए गए															
2010-11	एनएचबी को 1,514.43 करोड़ रुपए प्राप्त हुए	1,317.12 करोड़ रुपए संवितरित किए गए															

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां
			<p>(क) 5 एकड़ या उससे कम जोत वाले छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बंटाईदार ;</p> <p>(ख) महिलाएं</p> <p>(ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) के अंतर्गत पात्र व्यक्ति अर्थात् बीपीएल अथवा गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर</p> <p>(घ) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां</p> <p>(ड.) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति। राज्यों में, जहाँ अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय, वस्तुतः बहुसंख्यक है मद (ड.) सिर्फ अन्य अधिसूचित समुदायों को समाविष्ट करेगी। ये राज्य/संघ क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप हैं।</p> <p>उपर्युक्त के अलावा, ग्रामीण आवास निधि स्कीम का 2 लाख रुपए से अनधिक वार्षिक आय वाले ग्रामीण जनसंख्या में भी विस्तार किया गया है।</p>		

परियोजनाओं की पात्र श्रेणियां

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र (आरआईडीफ ऋण:95%)

1. अल्प सिंचाई परियोजनाएं/सूक्ष्म सिंचाई;
2. मृदा अपरदन;
3. बाढ़ से बचाव;
4. जल विभाजक विकास/जलभराव क्षेत्रों का पुनरुद्धार ;
5. ड्रेनेज;
6. वन विकास;
7. मार्केटयार्ड, गोडाउन, मंडी, ग्रामीण हाट, विपणन अवसंरचना;
8. शीतागार, विभिन्न निकास क्षेत्रों में सरकारी/संयुक्त क्षेत्र शीतगृह;
9. बीज/कृषि/वागवानी फार्म;
10. पौधरोपण तथा बागवानी;
11. तंत्र की ग्रेडिंग/प्रमाणीकरण; प्रयोगशालाओं का परीक्षण/ प्रमाणीकरण;
12. पूरे गांव के लिए सामुदायिक सिंचाई कुएं;
13. मछली पत्तन/घाट;
14. तटीय मत्स्य उद्योग;
15. पशुपालन;
16. आधुनिक बूचड़खाना ;
17. मध्यम सिंचाई परियोजनाएं ;
18. छोटी पन बिजली परियोजनाएं/लघु पन बिजली परियोजनाएं (10 एम.डब्ल्यू तक) ;
19. प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं (पहले से संस्वीकृत तथा कार्याधीन) ;
20. ग्राम ज्ञान केन्द्र ;
21. तटीय इलाकों में अखारीय पौधे;
22. ग्रामीण इलाकों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना।

सामाजिक क्षेत्र (आरआईडीएफ ऋण:85%)

23. पेयजल;
24. ग्रामीण शिक्षा संस्थानों के लिए अवसंरचना;
25. सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं;
26. मौजूदा स्कूलों में शौचालय, विशेषकर लड़कियों के लिए का निर्माण;
27. ग्रामीण इलाकों में पे एंड यूज शौचालय;
28. आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण;
29. केवीआईसी औद्योगिक भवनो/केन्द्रों की स्थापना।

ग्रामीण सम्पर्क (आरआईडीएफ ऋण :80%)

30. ग्रामीण सड़के;
31. ग्रामीण पुल;

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
6	21	<p>समिति यह भी नोट करती है कि "निर्धारित निधियों" को कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में की गई कमी की राशि के आबंटन के नीतिगत उपाय के बावजूद विशेष रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक अधिदेशित ऋण लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को केवल 15.9% ऋण दिया गया जबकि कमजोर वर्गों को 3.31% ऋण दिया गया जो कि गंभीर चिंता का मामला है। समिति और अधिक गंभीरता से इस बात को इंगित करना चाहती है कि निर्धारित निधियों को कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में की गई कमी की राशि को आबंटित करने का यह उपाय कृषि क्षेत्र को सीधे ऋण देने का व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है। समिति चाहती है कि उसे निर्धारित कृषि ऋण लक्ष्य पूरा करने हेतु बैंकों को तैयार करने में अतिरिक्त निधियों की प्रभाविता से अवगत कराया जाए। कृषि क्षेत्र को सीधे ऋण देना तत्काल आवश्यक है, इस ऋण में वृद्धि हो रही है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति दोहराती है कि सरकार/ आरबीआई यह सुनिश्चित करे कि बैंक कृषि क्षेत्र और पिछड़े वर्गों को दिये जाने वाले ऋण के लक्ष्यों को प्राप्त करें।</p>	<p>मार्च 2010 के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण 3,70,730.35 करोड़ रुपए अर्थात् समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 17.28% और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 89,769.18 करोड़ रुपए अर्थात् एएनबीसी का 15.62% रहा। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष ऋण 2,65,671.17 करोड़ रुपए अर्थात् एएनबीसी का 12.78% और निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में यह 52,1109.94 करोड़ रुपए अर्थात् एएनबीसी का 11.12% रहा। कमजोर वर्गों को तदनुसूची उधार क्रमशः 2,12,214.83 करोड़ रुपए (अर्थात् एएनबीसी का 10.24%) रहा तथा 25,690.03 करोड़ रुपए (अर्थात् एएनबीसी का 5.48%) रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के कारणों में एक कारण शाखाओं की सीमित संख्या और इन शाखाओं का भौगोलिक वितरण है। शाखाओं के विषम वितरण वाले बैंकों के संबंध में लक्षित वर्गों के पर्याप्त संख्या में ग्राहकों का मिलना मुश्किल होगा। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई प्रयास शुरू किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-</p> <p>(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक कृषि ऋण लक्ष्य का अनुपालन करे, भारत सरकार ने कृषि उधार लक्ष्य की प्राप्ति को कार्य निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन संकेतकों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए एक पैरामीटर बनाया है जिसके आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य महाप्रबंधकों तथा कार्यपालक निदेशकों का मूल्यांकन होता है।</p> <p>(ii) आरबीआई की विद्यमान शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को</p> <p>(i) टीयर 3 से टीयर 6 केन्द्रों में (49,999 तक जनसंख्या वाले)</p> <p>(ii) रिपोर्टिंग के अध्यक्षीय पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के ग्रामीण, अर्धशहरी, तथा शहरी केन्द्रों में शाखाएं/ मोबाइल शाखा खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। इस प्रकार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से उपरोक्त केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से पूर्वानुमति लिए</p>	<p>सतत प्रक्रिया के भाग के रूप में कार्रवाई की जा रही है।</p>	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>बिना अपनी पसंद के स्थान पर एटीएम/मोबाइल एटीएम लगाने की सामान्य अनुमति दी गई है। यह देखा जा सकता है कि विद्यमान शाखा प्राधिकरण नीति में ग्रामीण और बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने पर पहले से ही विशेष जोर दिया है।</p> <p>(iii) बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को टीयर 3 से टीयर 6 केन्द्रों तथा रिपोर्टिंग के अध्यक्षीन सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण अर्ध-शहरी तथा शहरी केन्द्रों में मोबाइल शाखाएं परिचालित करने की अनुमति दी है। मोबाइल शाखा दिशानिर्देशों में एक सुसंरक्षित वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की परिकल्पना है। यह मोबाइल वैन यूनिट विशिष्ट दिन/घंटों में इसके द्वारा सेवा दिए जाने के लिए प्रस्तावित स्थानों का दौरा करेगी ताकि ग्राहकों द्वारा इसकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके। इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, कारपोरेशन बैंक जैसे कुछ बैंकों ने मोबाइल वैन बैंकिंग शुरू की है।</p> <p>(iv) बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के महत्व को मानते हुए आरबीआई ने 8 अक्टूबर, 2008 को मोबाइल बैंकिंग लेन-देनों के लिए परिचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनकी समीक्षा की गई तथा 24 दिसम्बर, 2009 को इसे और शिथिल किया गया। आरबीआई ने आज तक 46 बैंकों को अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया है तथा 33 ने मोबाइल बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं।</p> <p>(v) आरबीआई द्वारा जनवरी 1993 तथा जनवरी 2001 में गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नए बैंकों से अपनी 25% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोलना अपेक्षित था। उक्त उपाय वित्तीय समावेशन का सवर्द्धन करने के लिए है। नए बैंकों को लाइसेंस देने पर आरबीआई द्वारा नए मसौदा दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। स्थाई समिति के विचार आरबीआई द्वारा रिकार्ड में ले लिया गया है तथा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते समय इनको ध्यान में रखा जाएगा।</p> <p>(vi) भारत सरकार, 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को 3 लाख रुपए तक के अल्पाधिक</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>फसल ऋणों के लिए एक ब्याज सहायता प्रदान कर रही है ताकि किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण 7% की दर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके। 2010-11 में उन किसानों को 2% की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जा रही है, जो अपना अलपावधिक फसल ऋण समय पर चुकाते हैं। इस प्रकार 3.00 लाख रुपए तक के ऋण के लिए तत्काल भुगतान करने वाले किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण 5% की दर पर उपलब्ध है। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 के लिए ब्याज सहायता योजना में तत्काल भुगतान करने वाले किसानों के लिए अल्पावधिक फसल ऋण 4% प्रतिवर्ष की दर पर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।</p> <p>(vii) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 ने ऋण के मार्ग को खोल दिया जो किसानों पर ऋण बोझ के कारण अवरुद्ध हो गए थे।</p> <p>(viii) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे लघु एवं सीमान्त किसानों, बटाईदारों तथा ऐसे ही लोगों के लिए 50,000 रुपए तक के लघु ऋणों के लिए "अदेयता" प्रमाण पत्र की अपेक्षा से मुक्त करें तथा इसके बजाए वे उधारकर्ता से स्व-घोषणा प्राप्त करें।</p> <p>(ix) बैंकों (आरआरबी सहित) को सलाह दी गई है कि जहां कहीं भी स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं से फसल उत्पादन आदि के संबंध में प्रमाणन प्राप्त करने में कठिनाई हो तो वे भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों तथा मौखिक पट्टेदारों से 50,000 रुपए तक के ऋण के लिए उनकी पेशागत स्थिति (अर्थात् जोतभूमि, उगाई गई फसल का विवरण) स्पष्ट करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र स्वीकार कर सकते हैं।</p> <p>(x) आरबीआई ने बैंकों को 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं को छूट देने की सलाह दी है।</p> <p>(xi) बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में (संख्या में) 20% तथा (राशि में) 20% तक वृद्धि करें।</p> <p>आशा है कि भारत सरकार तथा आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपायों से एक समयावधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र तथा कमजोर वर्गों के लिए उधार लक्ष्यों की प्राप्ति सुकर होगी।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां																																			
7	25	कार्रवाई टिप्पणी से समिति के ध्यान में यह आया है कि मध्यावधि समीक्षा के बाद मंत्रालयों/विभागों की समावेशी क्षमता के आधार पर संसाधनों को मध्यावधि पुनःआवंटन जैसे कदमों ने कई मंत्रालयों/विभागों के मामले में शेष अनुप्रयुक्त राशि/बचतों को नहीं रोका है। बचतें भी पूंजी से राजस्व भाग अथवा इसके विपरीत क्रम आदि में निधियों के पुनर्वितरण जैसे कारकों के कारण दिखाई जानी चाहिए जिन्हें लेखांकन प्रणाली में उपयुक्त रूप से नहीं दिखाया गया है। इस कारण लेखांकन प्रणाली की समीक्षा की जरूरत है ताकि कमियों को दूर किया जा सके और बचतों तथा व्यय को सही तौर पर दिखाया जा सके। इसके अतिरिक्त, समिति के बजटीय नियोजन प्रक्रिया जिससे प्रभावी निवारक तंत्र का निर्माण हो सके और प्रत्येक वर्ष अभ्यर्पणों से बचा जा सके, की समीक्षा पर जोर दिए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि मंत्रालय व्यय में विलंब करने, वास्तविक संभावना से अधिक व्यय का अनुमान लगाने और साथ ही, अभ्यर्पणों में विलम्ब से बचे। साथ ही, ऐसी प्रणाली की प्रभावकारिता को शेष व्यय न की गयी निधियों के प्रभाव को प्रदर्शित करने में नहीं देखा गया।	<p>बचतों के अभ्यर्पण से संबद्ध एक मुख्य कारण बचतों का पुनर्वितरण है जो अनुदान के एक भाग से दूसरे भाग में उपलब्ध है। जैसे-पूंजी से राजस्व भाग अथवा इसके विपरीत क्रम में अथवा स्वीकृत से भारित भाग अथवा इसके विपरीत क्रम में। यह संसद के अनुमोदन के जरिए किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी तौर पर बचतों का अभ्यर्पण होता है। इस प्रक्रिया की समीक्षा करना जरूरी नहीं है। अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगों को प्राप्त करते समय, संसद को तकनीकी अभ्यर्पणों के बारे में सूचित किया जाता है जिसके मुकाबले अनुदान के अन्य भाग में अतिरिक्त राशि की अनुमति दी जाती है। यह एक सुस्थापित प्रक्रिया है।</p> <p>2. मध्यावधि समीक्षा के बाद वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय/विभाग की व्यय की उच्चतम सीमा को अंतिम रूप देने की मौजूदा प्रणाली समय की कसौटी पर कसी प्रक्रिया है। चूंकि एक अनुदान/विनियोग में प्रभावी बचतें दूसरे अनुदान/विनियोग में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए उपयोग में लायी जाती हैं, इसलिए समग्र रूप से सरकार में परिणामी बचत को कुल बजट आवंटनों की तुलना में देखे जाने की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में सरकार के व्यय (निवल आधार पर) की स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है।</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रूपए)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>बजट अनुमान</th> <th>संशोधित अनुमान</th> <th>वास्तविक व्यय</th> <th>संशोधित</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2004-05</td> <td>477829</td> <td>505791</td> <td>498252</td> <td>98.51%</td> </tr> <tr> <td>2005-06</td> <td>514344</td> <td>508705</td> <td>505738</td> <td>99.42%</td> </tr> <tr> <td>2006-07</td> <td>563991</td> <td>581637</td> <td>583387</td> <td>100.30%</td> </tr> <tr> <td>2007-08</td> <td>680521</td> <td>709373</td> <td>712671</td> <td>100.46%</td> </tr> <tr> <td>2008-09</td> <td>750884</td> <td>900953</td> <td>883956</td> <td>98.11%</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>1020838</td> <td>1021547</td> <td>1024487</td> <td>100.29%</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित	2004-05	477829	505791	498252	98.51%	2005-06	514344	508705	505738	99.42%	2006-07	563991	581637	583387	100.30%	2007-08	680521	709373	712671	100.46%	2008-09	750884	900953	883956	98.11%	2009-10	1020838	1021547	1024487	100.29%		
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित																																				
2004-05	477829	505791	498252	98.51%																																				
2005-06	514344	508705	505738	99.42%																																				
2006-07	563991	581637	583387	100.30%																																				
2007-08	680521	709373	712671	100.46%																																				
2008-09	750884	900953	883956	98.11%																																				
2009-10	1020838	1021547	1024487	100.29%																																				

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
8	26	<p>समिति प्राप्त उत्तर से यह जानकर भी अत्यधिक आश्चर्यचकित है कि मंत्रालय के पास किफायती उपायों जो स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुई बचतों से भिन्न हैं, के कारण हुए अभ्यर्पणों/बचतों की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। प्रभावी व्यय प्रबंधन हेतु सक्षम बनाने के लिए यह सूचना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए समिति सिफारिश करेगी कि सरकार परियोजना/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण हुई बचतों/अभ्यर्पणों जो किफायती उपायों के कारण होने वाली बचतों से भिन्न हैं, के संग्रहण/रख-रखाव हेतु एक तंत्र की व्यवस्था करे।</p>	<p>जहां तक किफायती उपायों के कारण होने वाली बचतों और स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन न किए जाने के कारण होने वाली बचतों के बीच का अंतर है और इस हेतु संसाधनों के बेहतर आवंटनों को प्राप्त करने के लिए बचतों को वर्गीकृत संबंधी मंत्रालय की पहल/प्रस्ताव का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि सामान्यतः अनिवार्य कठौती संस्थापना संबंधी व्यय जैसे समयोपरि भत्ता, घरेलू/विदेशी यात्रा व्यय, प्रकाशन, व्यावसायिक सेवाएं, कार्यालय व्यय, पीओएल आदि पर की जाती है। ब्याज भुगतान, ऋण की पुनःअदायगी, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन जैसे अनिवार्य भुगतान तथा राज्य सरकारों को वित्त आयोग अनुदान को किफायती उपायों से अलग रखा गया है और मंत्रालय द्वारा ऐसी व्यवस्था है। मुख्यतः अनिवार्य किफायती उपायों के कारण होने वाली बचतों को वेतन(उच्च वेतनमान, महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि की स्वीकृति के कारण), पेंशन, फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर उच्च परिव्यय (व्यय की गति पर निर्भर), सब्सिडियां, राज्य सरकारों को अनुदान और अन्य वचनबद्ध भुगतान जो प्रत्येक मांग/विनियोग से विशिष्ट हैं, की अतिरिक्त आवश्यकताओं में लगाया जाता है। इस प्रकार किफायती उपायों से हुई बचतें दिखाई नहीं देती।</p> <p>जहां तक मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन न किए जाने से संबद्ध बचतों के उपयोग संबंधी पहल/प्रस्ताव का संबंध है, इसे बजट अनुमानों के विवरण में स्पष्ट दिखाया जाता है। आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करते समय, व्यय बजट खंड 2 में मौजूदा वर्ष(बजटीय तथा संशोधित अनुमान दोनों) में उपलब्ध आयोजनाबद्ध व्यय दिखाया गया है जिसके साथ आगामी वित्त वर्ष का बजटीय व्यय भी शामिल है। विशेष अनुदान/विनियोग/स्कीम/कार्यक्रम में हुई बचतों को संशोधित अनुमान में दिखाया जाता है और इन्हीं को अन्य मांगों/विनियोगों में वितरित किया जाता है, जहां अतिरिक्त राशि की अनुमति होती है। अतिरिक्त धनराशियों को अनुदानों की पूरक मांगों के जरिए मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार, बजटीय तथा लेखांकन की मौजूदा प्रणाली निधियों के पुनःआवंटन पर विचार के लिए पर्याप्त है और यह पारदर्शी तरीके से निधियों पुनःआवंटन को व्यक्त करती है। एक मांग में प्रभावी बचतों और दूसरी मांग में अनुमत अतिरिक्त राशि के बीच कोई अनुरूपता नहीं है।</p>	स्वीकृत नहीं	

Statement showing Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 26th Report of the Standing Committee presented to Lok Sabha on 10th December, 2010/laid in Rajya Sabha on 10th December, 2010 of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services & Disinvestment).

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	8	The Committee reiterate their concern on the continued underutilization of budgetary provisions for assisting Public Private Partnership (PPP) infrastructure projects through Viability Gap Funding (VGF) since 2006-07. During the current year 2010 as well, the budgetary grant of ₹480.26 crore under the head of account was revised downwards to ₹125 crore at the stage of Revised estimates of which only ₹52.51 crore has been disbursed as on date i.e. mid November, 2010. The Committee are not convinced with the reply of the Ministry which lists out factors such as inexperience of the project sponsors in implementing the PPP projects, negative grants in projects where private sector is more optimistic of returns, effect of global recession of 2008 which resulted in delays in financial closure of the projects etc., as the reasons for underutilization of the Budget. It is essential to ensure that projects are not awarded to sponsors who may not be able to honour commitments and proper assessment is made of the potential of each project before deciding on funding through VGF. The Committee are of the	<p>Budget provision of ₹480.26 crore was made in MH 5475-Assistance for Infrastructure Development at Budget Estimates stage in 2010-11. The Budget Estimates were framed based on the 'in principle' approval given to the projects submitted by sponsoring authorities including two large, capital invested Metro Projects (Hyderabad Metro Rail Project and Mumbai Metro Rail Project). Though the two projects are already awarded and require VGF support amounting to ₹3894.88 crore (indicated requirement for 2010-11 is ₹350 crore), the financial closure of these projects were not achieved till finalisation of Revised Estimates 2010-11 and the State Governments did not require Viability Gap Funding for those projects in 2010-11. Accordingly the provision was reduced to ₹125 crore in Revised Estimates 2010-11. The actual disbursement during 2010-11 was ₹125.00 crore.</p> <p>2. The Viability Gap Funding is a mechanism to provide capital grant to PPP projects to make them commercially viable. Before grant of approval for VGF support, careful assessment is made of the need and justification of the project and whether the project can be implemented with lesser requirement of funding. Once the merits of the project and the robustness of the contract documents are established, the project is granted "in-principle" approval for VGF support.</p> <p>3. All attempts are made to correctly estimate the requirements of VGF after careful review with sponsoring authorities. Funds are earmarked only for projects which are at an advanced stage of bidding and where the projects have been awarded. However, the actual bid response is influenced by developer's assumptions and perceptions about the future costs and revenues of the project which in turn determine the actual</p>	It is a statement of facts for explanation only	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks								
2.	11	<p>considered view that the Empowered Committee definitely has a greater role to play in deciding on the PPP projects requiring help through VGF and a more realistic assessment is made of the budgetary requirement under the head of account. The Committee expect to be appraised on the action taken to this end.</p> <p>As per the action taken note, following the adjustments of National Small Savings Fund (NSSF) loans to States and current exchange rates for external loans, the total debt liability of the Central Government, as percent of GDP, works out to 51.5% in RE 2009-10 and 51.1% in BE 2010-11, which is lower than 53.9% projected by the Thirteenth Finance Commission for the year. Nevertheless, the Committee cannot help noting that</p>	<p>VGF requirement. Therefore, final bid response may be at variance with the approved VGF requirements at the 'in-principle' approval stage.</p> <p>4. Further, to safeguard public resources and to ensure proper utilisation of Government resources, the actual disbursement of VGF is done only after financial closure is achieved and the private developer has expended the subscribed and paid up equity. Changes in the macro economic conditions influence these milestones which are critical for VGF disbursement.</p> <p>5. In order to streamline the VGF process, the following actions are being taken by this Ministry :</p> <p>(a) Creating awareness and understanding of the PPP process and the VGF Scheme to enable faster completion of the PPP procurement process; and review with the project authorities of PPP projects granted approval for VGF support.</p> <p>(b) Regular seminars, review meetings etc. are held in which representative from State Governments participate.</p> <p>(c) It has been decided that the Empowered Institution/ Committee shall also hold special review of all PPP Projects that require disposal of VGF to ensure more realistic assessments in future.</p> <p>Total estimated liabilities of the Central and State Governments as on March 31, 2010 is given below:</p> <table border="1" data-bbox="848 1161 1583 1318"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;"><i>(Amount ₹ in crores)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Central Government</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">3148427 @</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">State Government</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1394077 \$</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">General Government Debt</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">4542504</td> </tr> </tbody> </table> <p>@ <i>Netting of liabilities under MSS and NSSF as both are not used for financing Central Government deficit</i> \$ <i>Net of Treasury Bills</i></p>	<i>(Amount ₹ in crores)</i>		Central Government	3148427 @	State Government	1394077 \$	General Government Debt	4542504	Accepted	
<i>(Amount ₹ in crores)</i>													
Central Government	3148427 @												
State Government	1394077 \$												
General Government Debt	4542504												

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		<p>no mention has been made in the action taken note of the total liabilities of the State Governments and consequent combined debt liabilities of the Central and State Governments. Moreover, the action taken note is also not clear in regard to measures undertaken or proposed for containing the combined Government debt, which at 80% of GDP in 2010-11 i.e. at the time of examination of the Demands for Grants was in excess of the maximum limit of 75% recommended by the Twelfth Finance Commission – a figure that is also far in excess of the targeted combined debt level of 68% to be achieved by 2014-15 as accepted by the government on the basis of the recommendation of the Thirteenth Finance Commission. Though the Government intends to lower the revenue and fiscal deficits, concrete measures/ mechanism for containing the deficits and reducing the debt liability have not been mentioned. The Committee apprehend that in the absence of concrete measures, the projections on containing the deficits and overall debt liability may remain unachievable. The Committee also express concern over the facts that the interest payments as a percentage of revenue receipts, though estimated to go down marginally to a level of 36.4% in 2010-11, would nevertheless, continue to be on the higher side. The Committee, therefore, expects the Government to</p>	<p>The Government has been following a comprehensive strategy to moderate the growth in public debt through a policy of fiscal rectitude which includes <i>inter alia</i>, recourse to lower cost borrowings, emphasis on raising funds on concessional terms and from less expensive sources with longer maturities, monitoring short term debt and encouraging non-debt creating capital flows. The Central Government has also set up a Middle Office in order to have prudent management of debt and to bring greater focus on carrying cost and secondary market liquidity.</p> <p>The Government has undertaken concerted efforts in reducing the fiscal deficit gradually. The general Government Debt (Centre + States) has come down from 79.3% of GDP in the year 2004-05 to 69.3% of GDP in the year 2009-10. As per Medium Term Fiscal Policy Statement presented to Parliament with the budget document 2011-12, the estimated debt to GDP ratio for Central Government would be 45.3% in 2010-11, 44.2% in 2011-12, 43.1% in 2012-13 and 41.5% in 2013-14 respectively.</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
3.	14	<p>spell out the debt management strategy in clear and unambiguous terms and pursue the same in right earnest.</p> <p>Financial Inclusion: As seen from the action taken note, as many as 375 districts in the country continue to be under banked and 89 blocks unbanked of which a majority i.e. 80 blocks are in the North Eastern region. This is despite the number of measures taken by the Government and RBI to extend the reach of banking i.e. simplified branch authorization policy, viability gap funding scheme of RBI, relaxed know your customers (KYC) norms, introduction of basic banking 'ills' account, issue of General Purpose Credit cards (GCCs), use of Banking Correspondents/Facilitators, implementation of Core Banking Solution (CBS) in all RRBs, scaling up IT initiatives for financial inclusion, mobile banking, setting up Financial inclusion fund (FIF) and Financial Inclusion Technology Fund (FITF), setting up Financial Literacy and Credit Counseling Centers by SLBC convener banks and SHG-Bank Linkage programme etc. More seriously, the action taken note is elusive in regard to the specific recommendation of the Committee that RBI should give top most priority to the issue of financial inclusion and social banking while granting new bank licenses. The committee would reiterate that the issue of extending</p>	<p>It is submitted that some more unbanked blocks have been banked since the last action taken note. At present there are 81 unbanked blocks in the country of which 79 blocks are in the North Eastern Region and 2 are in the State of Jammu & Kashmir.</p> <p>As regards the multi-pronged efforts to extend the reach of banking, Reserve Bank of India (RBI) has recently permitted Scheduled Commercial Banks to operationalise Mobile Branches in Tier 3 to Tier 6 centres and in rural, semi urban and urban centre in the North Eastern States and Sikkim, subject to reporting. The mobile branch guidelines envisage the extension of banking facilities through a well protected van. The mobile unit would visit the places proposed to be served by it on specific days/hours so that its services could be utilized by the customers. Some banks like Allahabad Bank, UCO Bank, Corporation Bank have launched the mobile van bank services. Further , as per extant branch authorization policy of RBI, general permission has been granted to domestic Scheduled Commercial Banks (other than RRBs) to open branches/ mobile branches (i) in Tier 3 to Tier 6 centres (with population up to 49,999) and (ii) in rural, semi-urban and urban centres of the North Eastern States and Sikkim, subject to reporting. Thus, domestic Scheduled Commercial Banks are not required to take permission from Reserve Bank of India for opening branches in above centres. Besides, all Scheduled Commercial Banks have been given general permission to install Off-site ATMs/ Mobile ATMs at the location of their choice without obtaining prior permission of RBI. It may be seen that there is already a distinct thrust in the extant branch Authorization Policy on opening more branches in rural and under banked areas.</p> <p>Regarding the recommendation of the Committee that RBI should give top priority to the issue of financial inclusion and</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
4.	17	<p>outreach of banking should be given utmost priority while granting new licenses. The Committee expect to be apprised of the action taken in this regard.</p> <p>Banking Correspondents (BC) / Banking Facilitators (BF) model : The Committee feel constrained to note that the action taken note is silent on the recommendation made for conducting a study on the effectiveness of the Banking Correspondents (BCs)/ Banking Facilitators (BFs) model in extending banking services, as also the issue of the rationale of levying charges on banking services provided through this model on customers in unbanked areas. The Government has merely chosen to furnish figures on the total number of Banking Correspondents (BCs) employed by banks (2301), of whom a majority are employees of Public Sector banks (2128), with the private sector and foreign banks having employed only 172 and 1 BCs respectively. The action taken note is also evasive in regard to the emphasis made by the Committee on giving preference to Pigmy/Tiny Depositors for furthering the cause of 'Financial Inclusion'. It is also apparent</p>	<p>social banking while granting new bank licences, it is submitted that as per the guidelines on entry of new banks in the private sector issued by RBI in January 1993 and January 2001, the new banks were required to open 25 percent of their branches in rural and semi urban areas. The said prescription is to promote financial inclusion. The process of preparation of new draft guidelines by RBI on licensing new banks is in progress. The views of the Standing Committee have been taken on record by RBI and would be taken into consideration while finalizing the guidelines.</p> <p>The Reserve Bank of India (RBI) has reported that Scheduled Commercial Banks have since 2006 been permitted, to adopt the Business Facilitator (BF)/ Business Correspondents (BC) model for the delivery of banking services in the unbanked and under banked areas of the country. A variety of entities/ individuals had been permitted by RBI to act as BCs, however, only a few had actually been so engaged by banks. The RBI examined the efficacy of the BC/BF model in its discussion paper issued in August, 2010 on the Engagement of 'for profit' Companies as BCs by banks. This discussion paper stated that:</p> <p>(i) Out of 50 public sector and private sector banks, only 27 banks had reported engaging BCs. Most of the banks that had engaged BCs had appointed Section 25 companies/ Trusts/ Societies as BCs. Further, almost all the Section 25 companies engaged as BCs had been floated by the technology service providers who had provided the smart cards or the biometric solutions for account openings, etc.</p> <p>(ii) For example – FINO, a technology firm working together with its non-profit partner Fintech Foundation, which acts as BC network manager had opened about 10 million accounts on behalf of 14 banks, Post offices and nine Government agencies. A Little World (ALW) and its non-profit partner Zero Mass foundation had also opened about 4 million accounts as BC for 20 banks. Eko is a similar technology focused company with</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		<p>from the action taken note that the BC model has not found much favour with the private sector and foreign banks. The Committee, once again emphasise the need for evaluating this model as a channel of banking covering inter-alia, the norms for engaging Banking Correspondents, the number of accounts added, business generated through this model till date etc. The Committee expect to be apprised of the action taken to this end at an early date.</p>	<p>Eko Aspire Foundation, a parallel non-profit organization operating as a BC for State Bank of India. Similarly, Integra Micro Systems (Pvt.) Ltd. had also provided technology solutions under the BC model to a few banks.</p> <p>(iii) While many banks had taken some steps to adopt the BC model, only a few of them had scaled-up beyond the pilot stage. The difficulty experienced by banks in scaling up had been attributed to several factors including credit, operational , legal and reputation risks faced by banks in engaging a large number of BCs, low coverage by individuals acting as BCs due to their financial and other constraints, difficulty in assessing integrity of individuals acting as BCs, general lack of professionalism of BCs in matters of regularity, punctuality, maintenance of various records, delay in loan processing, disbursements, low volume of business generated by BCs and costs associated with low volume small value transactions.</p> <p>Keeping in view the above aspects, the guidelines for engaging Business Correspondent were reviewed by RBI and revised guidelines were issued on September 28, 2010. The banks are now permitted to engage Companies registered under the Indian Companies Act, 1956 with large and widespread retail outlets as BCs (excluding NBFC). It is expected that this will enable banks to deliver banking services to the far lying areas of the country which are not served by a traditional bank branch. Evaluation of this model may be taken up after implementation of this model by a majority of banks. This recent relaxation enables mobile operators to also become BCs of banks. The Indian Banks' Association (IBA) has informed that the Indian mobile service provider Vodafone Essar will become a BC for ICICI Bank Limited, while Bharti Airtel has announced a joint venture with the State Bank of India. Union Bank of India has partnered with Nokia and Obopay to launch a mobile payment service called 'Union Bank Money' available to consumers across India.</p> <p>As regards the Committee's recommendation for giving preference to pigmy deposit collectors as BC, it may be</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
5.	20	<p>The Committee had expressed their serious concern over the fact that banks, particularly from the private sector were getting away with impunity for not meeting the mandated level of priority sector lending, mainly to the agriculture sector. The submission made in the action taken note that ‘shortfall in priority sector lending by banks is being utilized by the Government for various infrastructure projects and other developmental activities in the rural areas’ by allocating the shortfall amounts</p>	<p>mentioned that banks are engaging individuals for mobilization of small deposits from door to door and the extant guidelines of the RBI also permit engaging any individual as a BC. A BC can carry out many other permitted activities in addition to collection of small deposits for the bank, these include:</p> <p>(i) Identification of borrowers; (ii) Collection and preliminary processing of loan applications including verification of primary information/data; (iii) Creating awareness about savings and other products and education and advice on managing money and debt counselling; (iv) Processing and submission of applications to banks; (v) Promoting, nurturing and monitoring of Self Help Groups/ Joint Liability Groups/Credit Groups/others; (vi) Post-sanction monitoring; (vii) Follow-up for recovery, (viii) Disbursal of small value credit, (ix) Recovery of principal / collection of interest (x) Collection of small value deposits (xi) Sale of micro insurance/ mutual fund products/ pension products/ other third party products and (xii) Receipt and delivery of small value remittances/ other payment instruments.</p> <p>As on December 31, 2010 the banks have employed 40,942 BCs covering 55,923 villages across the country and have opened 6.47 crore ‘no-frills’ (as on December 31, 2010) account in the country.</p> <p>The domestic Scheduled Commercial Banks, including Public & Private Sector Banks, which fail to achieve their priority sector targets/sub-targets are required to deposit their lending shortfall through the Reserve Bank of India (RBI) into one of the four aforesaid Funds as per the allocation made by the Government of India (GoI) each year. This shortfall is accordingly allocated by RBI to various Banks. The mechanism of allocation of funds to the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), the Short Term Cooperative Credit Refinance Fund (STCRC), the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Refinance Fund and Rural Housing Fund works as a disincentive to the banks, as the yield from these funds are low, and these banks are incentivized to take measures to lend directly to the priority sector.</p>	Statement of facts – for explanation only.	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks																																																								
		<p>to 'rural development oriented funds' in neither tenable nor acceptable. While around ₹ 31,500 crore of the shortfall in the banking sector lending to agriculture in the preceding two years is stated to have been allocated to three funds i.e. Short Term Cooperative Credit Refinance Fund (STCRC), Micro, Small and Medium Enterprises Refinance Fund (MSME) and Rural Housing Fund besides the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), the action taken note neither contains details of the off-take of the accruals to the funds nor the nature of assets created by utilizing the accruals from the funds. The Committee expect to be apprised of the details of the off-take of the accruals from these four funds in the preceding three years.</p>	<p>The following funds have been allocated from the shortfall in the agriculture lending/priority sector/weaker section of domestic Scheduled Commercial Banks during the last three years i.e. 2008-09, 2009-10 & 2010-11:</p> <table border="1" data-bbox="846 435 1587 1011"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Amount allocated in the last 3 years (₹ in crore)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Name of the Fund</th> <th style="text-align: center;">2008-09</th> <th style="text-align: center;">2009-10</th> <th style="text-align: center;">2010-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Rural Infrastructure</td> </tr> <tr> <td>Development Fund (RIDF)</td> <td style="text-align: center;">14,000</td> <td style="text-align: center;">14,000</td> <td style="text-align: center;">16,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bharat Nirman</td> </tr> <tr> <td>Programme through RIDF</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td style="text-align: center;">6,500</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Short Term Cooperative</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Credit (STCRC)</td> </tr> <tr> <td>(Refinance) Fund</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Micro, Small and Medium</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Enterprises (MSME)</td> </tr> <tr> <td>Refinance Fund</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> </tr> <tr> <td>Rural Housing Fund</td> <td style="text-align: center;">1,200</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">28,200</td> <td style="text-align: center;">31,500</td> <td style="text-align: center;">27,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>The details of allocations of the above funds along with off take of the accruals from these funds are as under:</p> <p>(i) Rural Infrastructure Development Fund (RIDF): The RIDF was set up by the Government in 1995-96, with an initial corpus of ₹ 2,000 crore for financing ongoing rural Infrastructure projects. The Fund is maintained by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). The RIDF provides term loans at concessional rates to State Governments for financing rural infrastructure projects. Over the years, the coverage under RIDF has been made more broad based and at present, a wide range of 31 sectors (Encl.-I) are being financed. Disbursements under RIDF are made strictly</p>	Amount allocated in the last 3 years (₹ in crore)				Name of the Fund	2008-09	2009-10	2010-11	Rural Infrastructure				Development Fund (RIDF)	14,000	14,000	16,000	Bharat Nirman				Programme through RIDF	4,000	6,500	—	Short Term Cooperative				Credit (STCRC)				(Refinance) Fund	5,000	5,000	5,000	Micro, Small and Medium				Enterprises (MSME)				Refinance Fund	4,000	4,000	4,000	Rural Housing Fund	1,200	2,000	2,000	Total	28,200	31,500	27,000		
Amount allocated in the last 3 years (₹ in crore)																																																													
Name of the Fund	2008-09	2009-10	2010-11																																																										
Rural Infrastructure																																																													
Development Fund (RIDF)	14,000	14,000	16,000																																																										
Bharat Nirman																																																													
Programme through RIDF	4,000	6,500	—																																																										
Short Term Cooperative																																																													
Credit (STCRC)																																																													
(Refinance) Fund	5,000	5,000	5,000																																																										
Micro, Small and Medium																																																													
Enterprises (MSME)																																																													
Refinance Fund	4,000	4,000	4,000																																																										
Rural Housing Fund	1,200	2,000	2,000																																																										
Total	28,200	31,500	27,000																																																										

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks																
			<p>on implementation of the projects on a reimbursement basis to the State Govts. NABARD draws deposits from the Banks only after demands are raised by State Governments based on the progress in the implementation of projects sanctioned under RIDF. The annual allocation from RIDF to the State Governments is made by NABARD on a 'normative basis' with reference to their geographical area, rural population, rural infrastructure index, inverse of rural Credit Deposit (CD) ratio and the previous performance of RIDF sanctions and utilisation. Thus, ensuring that the regional and sectoral balance is maintained in allocations, especially to North Eastern and Backward regions. The utilization of the allocation has been over 90% in respect of all the closed tranches under RIDF. The NABARD has a strict monitoring mechanism in place to oversee progress.</p> <p>The details of allocations, sanctions and disbursements during the years 2007-08, 2008-09, and 2009-10 are indicated below:</p> <p style="text-align: right;"><i>(₹ in crore)</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tranche</th> <th style="text-align: center;">Allocation by Gol</th> <th style="text-align: center;">Sanctioned to States</th> <th style="text-align: center;">Utilisation/ Disbursement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XIII (2007-08)</td> <td style="text-align: center;">12000.00</td> <td style="text-align: center;">12614.46</td> <td style="text-align: center;">8,034.93</td> </tr> <tr> <td>XIV (2008-09)</td> <td style="text-align: center;">14000.00</td> <td style="text-align: center;">14754.28</td> <td style="text-align: center;">10,458.64</td> </tr> <tr> <td>XV (2009-10)</td> <td style="text-align: center;">14000.00</td> <td style="text-align: center;">15629.66</td> <td style="text-align: center;">12,387.54</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ii) Bharat Nirman Programme: A special window in NABARD was created in 2006-07 to augment funding of the Rural Roads Programme of the Ministry of Rural Development i.e. the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). From this window ₹18,500 crore was funded to Ministry of Rural Development through National Rural Road Development Agency (NRRDA) between 2006-07 and 2009-10.</p> <p>(iii) Short Term Cooperative Credit (STCRC) (Refinance) Fund 2009-10: The Short Term Cooperative Credit (Refinance) STCRC Fund was set up with NABARD with a view to enable it</p>	Tranche	Allocation by Gol	Sanctioned to States	Utilisation/ Disbursement	XIII (2007-08)	12000.00	12614.46	8,034.93	XIV (2008-09)	14000.00	14754.28	10,458.64	XV (2009-10)	14000.00	15629.66	12,387.54		
Tranche	Allocation by Gol	Sanctioned to States	Utilisation/ Disbursement																		
XIII (2007-08)	12000.00	12614.46	8,034.93																		
XIV (2008-09)	14000.00	14754.28	10,458.64																		
XV (2009-10)	14000.00	15629.66	12,387.54																		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks																																
			<p>to access low cost funds for providing refinance to Cooperative Banks and Regional Rural Banks for short – term production credit. From this Fund, NABARD provides suitable subvention taking into account costs of funds and interest charged on Short Term Operation (SAO) to the client banks (4% to State Cooperative Banks and 4.5% to Regional Rural Banks). The allocation of this fund to NABARD, helps NABARD to borrow equivalent amount of funds from the market for its short term (crop) loaning operations to Cooperative Banks. The utilization of this fund by NABARD during last three years is as under:</p> <p style="text-align: right;"><i>(₹ in crore)</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Year</th> <th style="text-align: center;">STCRC Fund allocation</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">Amount disbursed by NABARD</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Gol announcement</td> <td style="text-align: center;">Actual allocation</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">4,622.28</td> <td style="text-align: center;">14,274</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">18,460</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">20,739</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iv) Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Refinance Fund: The details of the MSME Fund received by Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and its utilisation are given below:</p> <p style="text-align: right;"><i>(₹ in crore)</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Financial Year</th> <th style="text-align: center;">Amount received</th> <th style="text-align: center;">Amount utilised</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td style="text-align: center;">3326.00</td> <td style="text-align: center;">Fully utilised</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td style="text-align: center;">4000.00</td> <td style="text-align: center;">Fully utilised</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td style="text-align: center;">4000.00</td> <td style="text-align: center;">Fully utilised</td> </tr> </tbody> </table> <p>During the Financial Year 2008-09, as against ₹ 3,600 crore, an amount of ₹ 3,326 crore was received by SIDBI as on March 31, 2009. The fund was utilised for refinancing the incremental lending to Micro and Small Enterprises (MSEs) by banks.</p> <p>During the year 2009-10, in order to incentivise Banks and State Financial Corporations (SFCs) to lend to MSEs, a part of this fund was utilized for providing refinance to the extent of 50%</p>	Year	STCRC Fund allocation	Amount disbursed by NABARD			Gol announcement	Actual allocation		2008-09	5,000	4,622.28	14,274	2009-10	5,000	5,000	18,460	2010-11	5,000	5,000	20,739	Financial Year	Amount received	Amount utilised	2008-09	3326.00	Fully utilised	2009-10	4000.00	Fully utilised	2010-11	4000.00	Fully utilised		
Year	STCRC Fund allocation	Amount disbursed by NABARD																																			
	Gol announcement	Actual allocation																																			
2008-09	5,000	4,622.28	14,274																																		
2009-10	5,000	5,000	18,460																																		
2010-11	5,000	5,000	20,739																																		
Financial Year	Amount received	Amount utilised																																			
2008-09	3326.00	Fully utilised																																			
2009-10	4000.00	Fully utilised																																			
2010-11	4000.00	Fully utilised																																			

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>incremental lending to MSEs during FY 2010-11. The refinance of ₹ 4,000 crore was fully disbursed to 16 Public Sector Banks and 6 SFCs. The assistance by PSBs as on March 31, 2010 <u>has benefitted over 33.18 lakh micro and small enterprises</u> (comprising micro 24.37 lakh and 8.81 lakh small enterprises).</p> <p>During the Financial Year 2010-11, an amount of ₹ 4,000 crore has been disbursed to 26 Banks and 6 State Financial Corporations. The entire fund was utilised for refinancing the incremental lending to Micro and Small Enterprises (MSEs) against 50% of the incremental lending to the micro and small enterprises sector by Banks/SFCs. <u>This has helped in increasing the flow of credit to the micro and small enterprises sector by more than ₹16,000 crore and has benefited over 37 lakh micro and small enterprises.</u></p> <p>SIDBI has reported that the data in respect of incremental lending by 27 PSBs to micro enterprises obtained shows that as on March 31, 2010, banks have achieved an incremental lending of ₹ 54,750 crore to the micro enterprise sector over its lending as on March 31, 2009. The outstanding credit to Micro Enterprises sector as on March 31, 2010 stood at ₹ 1,52,096 crore as against outstanding credit of ₹ 97,526 crore as on March 31, 2009 registering a growth of 56%. The assistance by PSBs as on March 31, 2010 <u>has benefitted 61.75 lakh micro enterprises.</u> Provision of refinance support by SIDBI to Banks/SFCs at concessional rate of interest <u>is expected to improve the credit flow to the micro and small enterprises substantially.</u></p> <p>SIDBI has also reported that for the Financial Year 2011-12 the necessity of continuously providing low cost credit to MSEs through concessional resource support to SIDBI has become more pronounced in the present scenario of recovery of the Indian economy from the economic slowdown. In order to augment the refinance capabilities of SIDBI and stimulating the growth of MSEs. In the Financial Year 2011-12, ₹ 5,000 crore has been provided to SIDBI for a period of three years for MSE Refinance Fund.</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks												
			<p>(v) Rural Housing Fund: Rural Housing Fund was established in the year 2008-09, and is being administered by the National Housing Bank. The following is the status of amounts received under the funds during the three years alongwith their utilization:</p> <table border="1" data-bbox="846 435 1587 678"> <thead> <tr> <th>Financial Years July to June</th> <th>Amounts received under the Funds</th> <th>Utilizations</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td>NHB received ₹ 1,760.33 crore.</td> <td>Disbursed ₹ 1,761.48 crore.</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>NHB received ₹ 2,003.13 crore.</td> <td>Disbursed ₹ 2,015.82 crore.</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>NHB received ₹ 2,014.43 crore.</td> <td>Disbursed ₹ 1,317.12 crore.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Under the RHF Scheme, the Rural Housing Fund (RHF) is utilised for providing refinance for lending to the rural housing sector undertaken by people falling under the weaker section category, as defined by the National Housing Bank: “Weaker section” means and includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Small and marginal farmers with land holding of 5 acres and less, and landless labourers, tenant farmers and share croppers; Women All individuals eligible for loans under SWARNJAYANTI GRAM SWAROZGAR YOJANA (SGSY) and Differential Rate of Interest (DRI) i.e. classified as BPL or marginally above the poverty line. Scheduled Castes, Scheduled Tribes Persons from minority communities as may be notified by Government of India from time to time. In States, where one of the minority communities notified is, in fact, in majority, item (e) will cover only other notified minorities. These States/Union Territories are Jammu & Kashmir, Punjab, Sikkim, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep. <p>Besides the above, the Rural Housing Fund Scheme is also extended to rural population with annual income not exceeding ₹ 2 lakh.</p>	Financial Years July to June	Amounts received under the Funds	Utilizations	2008-09	NHB received ₹ 1,760.33 crore.	Disbursed ₹ 1,761.48 crore.	2009-10	NHB received ₹ 2,003.13 crore.	Disbursed ₹ 2,015.82 crore.	2010-11	NHB received ₹ 2,014.43 crore.	Disbursed ₹ 1,317.12 crore.		
Financial Years July to June	Amounts received under the Funds	Utilizations															
2008-09	NHB received ₹ 1,760.33 crore.	Disbursed ₹ 1,761.48 crore.															
2009-10	NHB received ₹ 2,003.13 crore.	Disbursed ₹ 2,015.82 crore.															
2010-11	NHB received ₹ 2,014.43 crore.	Disbursed ₹ 1,317.12 crore.															

Agriculture and related sectors (RIDF loan: 95%)

1. Minor Irrigation Projects/ Micro Irrigation;
2. Soil Conservation;
3. Flood Protection;
4. Watershed Development/ Reclamation of waterlogged areas;
5. Drainage;
6. Forest Development;
7. Market Yard, Godown, Mandi, rural haat, marketing infrastructure;
8. Cold storage, Public/ Joint sector cold storage at various exit points;
9. Seed/ Agriculture/ Horticulture Farms;
10. Plantation and Horticulture;
11. Grading/ certifying mechanisms; testing/ certifying laboratories;
12. Community irrigation wells for the village as a whole;
13. Fishing harbour/ jetties;
14. Riverine Fisheries;
15. Animal Husbandry;
16. Modern Abattoir;
17. Medium Irrigation Projects;
18. Mini Hydel Projects/ Small Hydel Projects (upto 10 MW);
19. Major Irrigation Projects (already sanctioned and under execution);
20. Village Knowledge Centres;
21. Desalination plants in coastal areas;
22. Infrastructure for Information Technology in rural areas;

Social Sectors (RIDF loan: 85%)

23. Drinking Water;
24. Infrastructure for Rural Education Institutions;
25. Public Health Institutions;
26. Construction of toilet blocks in existing schools, specially for girls
27. "Pay & use" toilets in rural areas;
28. Construction of Anganwadi Centres;
29. Setting up of KVIC industrial estates/ centers.

Rural connectivity (RIDF loan: 80%)

30. Rural Roads;
31. Rural Bridges;

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
6.	21	<p>The Committee also note that despite the policy measure of allocating the shortfalls in lending to the ‘earmarked funds’, banks, particularly from the private sector continue to fall short of the mandated lending targets. For instance, the private sector banks lending to agriculture sector has been to the extent of only 15.9% in 2009 with 3.31% extended to weaker sections, which is a matter of serious concern. On an even more serious note, the Committee wish to point out that this measure of allocating the lending shortfalls to the earmarked funds cannot be a viable alternative to direct lending to agriculture sector. The Committee would like to be apprised of the effectiveness of the additional funds in prompting banks to meet the stipulated agriculture lending targets. Increasing direct agriculture advances being an urgent need, the Committee reiterate that the Government / RBI should ensure that the banks achieve the targeted lending to agriculture and weaker sections.</p>	<p>On the last reporting Friday of March, 2010 the lending to agriculture stood at ₹ 3,70,730.35 crore i.e. 17.28% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) in respect of Public Sector Banks and ₹ 89,769.18 crore i.e. 15.62% of ANBC in respect of Private Sector Banks. Further, lending for direct agriculture stood at ₹ 2,65,071.17 crore i.e. 12.78% of ANBC in respect of Public Sector Banks and ₹ 52,110.94 crore i.e. 11.12% of ANBC in respect of Private Sector Banks. The corresponding lending to the weaker sections stood at ₹ 2,12,214.83 crore (10.24% of ANBC) and ₹ 25,690.03 (i.e. 5.48% of ANBC) respectively.</p> <p>The Reserve Bank of India has reported that one of the reasons for the non achievement of priority sector targets by some of the banks are the limited number of branches and the geographical distribution of these branches. In respect of banks having a skewed distribution of branches, there would be difficulty in finding sufficient number of clients belonging to the targeted categories.</p> <p>Several efforts have been initiated by the Government of India and the Reserve Bank of India to improve the flow of credit to the priority sector with special emphasis on agriculture. These include:</p> <p>(i) In order to ensure the banks comply with the agriculture credit target, the Government of India has made the achievement of agriculture lending targets, one of the parameters for assessing the performance of the top management of the Public Sector Banks through the performance linked incentive indicators on the basis of which the CMDs and EDs of the Public Sector Banks are assessed.</p> <p>(ii) As per extant branch authorization policy of RBI, general permission has been granted to domestic Scheduled Commercial Banks (other than Regional Rural Banks) to open branches/mobile branches (i) in Tier 3 to Tier 6 centres (with population up to 49,999) and (ii) in rural, semi-urban and urban centres of the North Eastern States and Sikkim, subject to reporting. Thus, domestic Scheduled Commercial Banks are not required to take permission from Reserve Bank of India for</p>	Action is being taken as part of a continuous process.	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>opening branches in above centres. Besides, all Scheduled Commercial Banks have been given general permission to install Off-site/ATMs/Mobile ATMs at the location of their choice without obtaining prior permission of RBI. It may be seen that there is already a distinct thrust in the extant branch Authorization Policy on opening more branches in rural and under banked areas.</p> <p>(iii) To extend the reach of banking, Reserve Bank of India has recently permitted Scheduled Commercial Banks to operationalise Mobile branches in Tier 3 to Tier 6 centres and in rural, semi urban and urban centre in the North Eastern States and Sikkim, subject to reporting. The mobile branch guidelines envisage the extension of banking facilities through a well protected van. The mobile unit would visit the places proposed to be served by it on specific days/hours so that its services could be utilized by the customers. Some banks like Allahabad Bank, UCO Bank, Corporation Bank have launched the mobile van bank services.</p> <p>(iv) Recognizing the importance of mobile phones as medium for providing banking services, the RBI issued operating guidelines to banks for mobile banking transactions on October 8, 2008, which were reviewed and further relaxed on 24 December, 2009. RBI has authorised 46 banks till date to offer mobile banking services to their customers and 33 banks have commenced mobile banking.</p> <p>(v) As per the guidelines on entry of new banks in the private sector issued by RBI in January 1993 and January 2001, the new banks were required to open 25 percent of their branches in rural and semi urban areas. The said prescription is to promote financial inclusion. The process of preparation of new draft guidelines by RBI on licensing new banks is in progress. The views of the Standing Committee have been taken on record by RBI and would be taken into consideration while finalizing the guidelines.</p> <p>(vi) The Government of India, since 2006-07 is providing an Interest Subvention to all Public Sector Banks, Regional Rural Banks and Cooperative Banks for short term crop loans upto</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>₹ 3 lakh, so as to ensure that short term agriculture credit is available at 7% to farmers. In 2010-11, an additional 2% interest subvention was provided to those farmers, who repay their short term crop loans timely. Thus the short term crop credit was available to prompt payee farmers @ 5% p.a. for loans upto ₹ 3 lakh. Similarly, for the year 2011-12 the Interest Subvention Scheme proposes to provide an additional 3% interest subvention to the prompt paying farmers. Thus in the year 2011-12 prompt repaying farmers will get short term crop credit @ 4% p.a.</p> <p>(vii) The Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDRS), 2008 de-clogged the lines of credit that were clogged due to the debt burden on the farmers.</p> <p>(viii) Banks have been advised to dispense with the requirement of “no due” certificate for small loans up to ₹ 50,000 to small and marginal farmers, share-croppers and the like and instead obtain a self-declaration from the borrower.</p> <p>(ix) Banks (including RRBs), have been advised that wherever there are difficulties in getting certification from the local administration/panchayati raj institutions regarding the cultivation of crops, etc., they may accept an affidavit submitted by landless labourers, share croppers and oral lessees giving the occupational status (i.e., details of land tilled/crop grown) for loans up to ₹ 50,000.</p> <p>(x) RBI has advised to banks to waive margin/security requirements for agricultural loans upto ₹1,00,000.</p> <p>(xi) Banks have been directed to increase Kisan Credit Cards by 20% (in number) and 20% (in amount) for the financial year, 2010-11.</p> <p>It is expected that the measures adopted by Government of India and RBI would facilitate achievement of lending targets to the agriculture sector and the weaker sections by both Public and Private Sector Banks over a period of time.</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks																																			
7.	25	<p>The Committee find that steps such as mid-year reallocation of resources on the basis of the absorptive capacity of the Ministries/Departments after mid-year review have not prevented funds remaining unutilized. Savings have also been shown to be on account of factors such as redistribution of funds from capital to revenue section or vice-versa etc., which is not reflected properly in the accounting system. This calls for reviewing the accounting system. Furthermore, no specific reply has been furnished with regard to the emphasis made by the Committee on reviewing the budgetary planning process with a view to building an effective deterrent mechanism so as to prevent surrenders every year. It would be necessary to ensure that Ministries are dissuaded from delaying expenditure, projecting expenditure in excess of actual potential, and also delaying surrenders. Also, the effectiveness of mechanisms in impacting funds remaining unspent does not seem to be reflected.</p>	<p>One of the principal reasons for surrender of savings is the re-distribution of savings available in one section to another section of the Grant like from Capital to Revenue section or <i>vice-versa</i> or from Voted to <i>Charged</i> section or vice-versa. This is done through the approval of Parliament, resulting in surrender of savings technically. This practice does not call for review. At the time of seeking technical supplementary demands for grants, Parliament is kept informed of the technical surrenders against which additionality is allowed in other section of the grant. This is a well established procedure.</p> <p>2. The present system of finalizing the expenditure of a Ministry/ Department during the course of the financial year after mid-term review is a time-tested exercise. As savings effected in one grant/appropriation are utilized towards meeting additional expenditure in other grant/appropriation, the resultant savings in the Government as a whole may need to be seen vis-à-vis the Budget allocations. The following table brings out the expenditure (on net basis) position of the Government vis-à-vis BE/RE during the last 5 years:</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Budget</th> <th>Revised</th> <th>Actual</th> <th>Expenditure as % of RE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2004-05</td> <td>477829</td> <td>505791</td> <td>498252</td> <td>98.51%</td> </tr> <tr> <td>2005-06</td> <td>514344</td> <td>508705</td> <td>505738</td> <td>99.42%</td> </tr> <tr> <td>2006-07</td> <td>563991</td> <td>581637</td> <td>583387</td> <td>100.30%</td> </tr> <tr> <td>2007-08</td> <td>680521</td> <td>709373</td> <td>712671</td> <td>100.46%</td> </tr> <tr> <td>2008-09</td> <td>750884</td> <td>900953</td> <td>883956</td> <td>98.11%</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>1020838</td> <td>1021547</td> <td>1024487</td> <td>100.29%</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Budget	Revised	Actual	Expenditure as % of RE	2004-05	477829	505791	498252	98.51%	2005-06	514344	508705	505738	99.42%	2006-07	563991	581637	583387	100.30%	2007-08	680521	709373	712671	100.46%	2008-09	750884	900953	883956	98.11%	2009-10	1020838	1021547	1024487	100.29%	Not Accepted	
Year	Budget	Revised	Actual	Expenditure as % of RE																																				
2004-05	477829	505791	498252	98.51%																																				
2005-06	514344	508705	505738	99.42%																																				
2006-07	563991	581637	583387	100.30%																																				
2007-08	680521	709373	712671	100.46%																																				
2008-09	750884	900953	883956	98.11%																																				
2009-10	1020838	1021547	1024487	100.29%																																				
8.	26	<p>What the Committee also find extremely surprising to note from the reply is the fact that the Ministry has no clear picture on the surrenders/savings effected on account of economy measures as distinct from savings owing to non-</p>	<p>In so far as distinction between savings due to economy measures and savings on account of non-implementation of schemes/programmes and this Ministry's initiative/proposal to classify savings as such, achieve better allocation of resources, mandatory cut are generally imposed on establishment related expenditure such as OTA, Domestic/Foreign Travel Expenses,</p>																																					

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		<p>implementation of schemes/programmes. This information being of vital importance in enabling efficient expenditure management, the Committee would recommend that the Government establish a mechanism for collecting and maintaining information on savings/surrenders on account of delays in project/programme implementation etc. as distinct from savings on account of economy measures.</p>	<p>Publications, Professional Services, Office Expenses, POL, etc. Mandatory payments like interest payments, repayment of debt, Defence Capital, salaries, pension and the Finance Commission grants to the State Governments are exempted from the economy measures stipulated by this Ministry. Largely, the savings arising out of mandatory economy measures are absorbed in the additional requirements towards salaries (due to grant of higher scales, dearness allowances, increment), pension, higher outlays on flagship programmes, subsidies, grants to State Governments and other committed payments peculiar to each Demand/Appropriation. Savings, arising out of economy measures, are thus not visible.</p> <p>2. As regards this Ministry's initiative to capture savings on non-implementation of schemes/programmes, information is visible in the Statement of Budget Estimates. Expenditure Budget Vol.2 shows the schematic expenditure provided in the current year (both budgeted and revised estimates) together with budgeted expenditure for the next financial year. Savings captured in a particular grant/appropriation/schemes/programmes are reflected in the revised estimates and the same get distributed in other Demands/Appropriations where additionalities are allowed. Such additionalities are provided through Supplementary Demands for Grants. Thus, the present system of budgeting and accounting is adequate to take care of the re-allocation of funds and explains the re-allocations in a transparent manner. There is no one-to-one correspondence between the savings effected in one Demand and the additionality allowed in other Demand.</p>	Not Accepted	